12-04-2021

प्रेस नोट थाना नूरपुर

सस्ता सोना देने का लालच देकर ठगी करने वाले ''इण्टर स्टेट'' गैंग का पर्दाफाश, पुलिस कार्यवाही मे 02 हिस्ट्रीशीटर व 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभि0 सहित 05 अभि0गण, घटना मे प्रयुक्त गाडी व अवैध शस्त्रों सहित गिरफ्तार।

सादर अवगत कराना है कि श्री सुमित वर्मा पुत्र श्री विनोद वर्मा निवासी मौ0 रईसान थाना हल्दौर जनपद बिजनौर ने थाना नूरपुर पर सूचना दी कि उसकी दुकान के पास मयूर ज्वैलर्स पर काम करने वाले सागर निवासी मौ0 खेडा कस्बा/थाना हल्दौर द्वारा साजिश के तहत उससे जमीन मे दबा सोना सस्ते दर पर खरीदवाने के लिए कार्तिक निवासी ग्राम विसाढ थाना हल्दौर व आकाश **से सम्पर्क कराया और 25,000 रूपये प्रति तोला, सोना देने की बात कही और कहा कि सोने की डिलीवरी** अबरार निवासी मिलक मुकीमपुर थाना धामपुर, रिजवान निवासी ग्राम फिरोजपुर नरौत्तम थाना कोतवाली शहर, नाजिम निवासी दौलताबाद थाना कोतवाली देहात, सद्दाम निवासी नसीरी थाना कोतवाली शहर व फकरू उर्फ मामा निवासी ग्राम हरियावाला थाना कोतवाली देहात के द्वारा की जायेगी। उक्त अभियुक्तगण द्वारा सोना देनें के लिये नूरपुर के पास धामपुर रोड पर साजिश के तहत 05 लाख रूपये लेकर बुलाया गया। दिनांक 08.04.2021 को वह अपने भाई अमित के साथ समय करीब 18:30 बजे बताये हुए स्थान पर पहुँचा **तभी सफेद रंग की स्कार्पियो गाड़ी नं0 एमएच 04 जीएम 3454 से 1– अबरार 2– नाजिम उर्फ अजीम 3– सददाम 4– रिजवान 5– फकरू उपरोक्त आये और आते ही तमंचे के बल पर उसके पास से 05 लाख रूपये छीनने का प्रयास करने लगे। उसके व उसके भाई द्वारा शोर मचाने पर आसपास के लोग एकत्रित हो गये तभी ये लोग गाडी मे बैठकर भाग गये। उक्त सम्बन्ध मे श्री सुमित वर्मा उपरोक्त की तहरीर पर थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 130/21 धारा 395,511,120बी, 34 भादवि बनाम उपरोक्त पंजीकृत किया गया।**

मेरे द्वारा घटना को गंभीरता से लेते हुए संलिप्त अभियुक्तगण की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु स्वाट/सर्विलांस तथा थाना नूरपुर पुलिस को निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी चांदपुर के कुशल पर्यवेक्षण में स्वाट/सर्विलांस व थाना नूरपुर पुलिस द्वारा दिनांक 11.04.2021 को मुखबिर की सूचना पर नूरपुर धामपुर रोड पर उत्सव गार्डन के सामने घटना में संलिप्त अभि0गण को गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो उनके द्वारा जान से मारने की नियत से पुलिस टीम पर फायर किये, पुलिस टीम द्वारा अपना बचाव करते हुये घेराबंदी कर अभियुक्तगण 1–सागर 2–अबरार 3–रिजवान 4–नाजिम 5–सद्दाम को घटना में प्रयुक्त गाड़ी व अवैध शस्त्रों सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 132/21 धारा 147/148/149/307/34 भादवि बनाम अबरार आदि 05 नफर पंजीकृत किया गया। अवैध शस्त्र बरामदगी के संबंध में थाना नूरपुर पर मु0अ0सं0 133/21 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम बनाम अबरार, मु0अ0सं0 134/21 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम बनाम रिजवान, मु0अ0सं0 135/21 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम बनाम नाजिम, मु0अ0सं0 136/21 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम बनाम सद्दाम, मु0अ0सं0 137/21 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम बनाम सागर उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

अभि0गण द्वारा पूछताछ में बताया कि हम लोग सस्ती दरो पर सोना व चाँदी बेंचने का झांसा देकर सोना चाँदी खरीदने वाले लोगो को शिकार बनाते है तथा सोना चाँदी खरीदने/बेचने का बहाना करके रूपये लेकर सुनसान जगह पर बुलाते है और फिर हम लोग रूपये लूट लेते है। दिनांक 08.04.2021 को भी हम लोगो ने हल्दौर के रहने वाले व्यक्ति सुमित वर्मा को पाँच लाख रूपये सोना खरीदने के नाम पर लेकर नूरपुर धामपुर रोड पर बुलाया था और पाँच लाख रूपये लूटने की कोशिश की थी, राहगीरो की भीड हो जाने के कारण हम लोग रुपये लूट नही पाये थे और मौके से फरार हो गये थे। हम लोग इस घटना को अन्जाम देने के लिये नाजिम की स्कॉर्पियो गाडी से आये थे इसी गाडी से हम लोग सूरत गुजरात आन्ध्र प्रदेश, मुम्बई तेलंगाना बैगंलोर मे जाकर घूमफिर कर पॉश कालोनियों मे रैकी कर बन्द पडे मकानो का ताला तोडकर ज्वैलरी, रूपये आदि चोरी करते है। करीब 02 माह पहले हम तीनो नाजिम, रिजवान सद्दाम व अपने अन्य साथी रहमत व अजय नि0 नाला सुपारा मुम्बई के साथ मिलकर सूरत (गुजरात) मे प्रेसिडेन्ट कॉलोनी मे व नील कमल के सामने रिद्दी सिद्दी फ्लैट मे चोरी की थी जिसमे 200 ग्राम सोना व 600 ग्राम चाँदी तथा 40 हजार रुपये मिले थे, जिन्हे हम लोगो ने बराबर–बराबर बाँट

लिया था। जिसके सम्बंध मे दिनॉक 08.02.2021 को थाना रंदर सूरत गुजरात मु0अ0सं0 14/21 धारा 454/380 भादवि0 पंजीकृत है। इसके बाद हम लोगो ने मुम्बई, आन्ध्रप्रदेश व अन्य कई स्थानो पर चोरी की घटनाओ को अंजाम दिया था। **अभि0 नाजिम थाना को0देहात, अबरार थाना धामपुर के हिस्ट्रीशीटर व राहुल उर्फ सददाम थाना मण्डावर का 15000/– का इनामिया व गैगस्टर अधि0 मे वाछित अभि0गण है।** अभि0गण शातिर किस्म के अपराधी है जिनके विरूद्व आस–पास के जनपदों के अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी अभियोग पंजीकृत है। जिनकी जानकारी की जा रही है।

<u>नोटः- शेष अभियुक्तगण की हिस्ट्रीशीट खोली जायेगी तथा इनके विरुद्ध इंटरस्टेट गैंग पंजीकरण आदि कार्यवाही की जायेगी।</u>

<u>गिरफ्तार अभि0गण का नाम व पताः–</u>

1– अबरार पुत्र इसरार निवासी मिलक मुकीमपुर थाना धामपुर जनपद बिजनौर। **<u>एच0एस0 थाना धामपुर</u>**

2– नाजिम उर्फ अजीम पुत्र यूनुस निवासी दौलताबाद थाना कोतवाली देहात बिजनौर। **<u>एचएस थाना कोतवाली देहात</u>**

3– राहुल उर्फ सददाम पुत्र रईसुदीन निवासी नसीरी थाना कोतवाली शहर बिजनौर। **<u>15000/– हजार का ईनामिया व गैंगस्टर में वाँछित थाना मण्डावर।</u>**

4– सागर पुत्र सुभाष खटीक निवासी मौ0 खेडा कस्बा व थाना हल्दौर जनपद बिजनौर।

5– रिजवान पुत्र निजामुदीन निवासी ग्राम फिरोजपुर नरोत्तम थाना कोतवाली शहर बिजनौर।

<u>शेष वांछित अभि0गण का विवरणः–</u>

1–कार्तिक पुत्र सुनील निवासी विसाठ थाना हल्दौर बिजनौर।

2–फकरू उर्फ मामा पुत्र मौ0 अली निवासी हरियावाला थाना को0देहात बिजनौर।

3–आकाश पुत्र नामालूम निवासी अज्ञात

<u>बरामदगी का विवरण :–</u>

1–02 तमन्चे 315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस

2–02 तमन्चे 12 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस

3–01 चाकू नाजायज

4–घटना मे प्रयुक्त स्कार्पियो गाड़ी नं0 एमएच 04 जीएम 3454

5–07 डिब्बे प्लास्टिक जिसमे पीली धातु व सफेद धातु के आभूषण वजन करीब 634 ग्राम व घडी इत्यादि।

<u>अभियुक्तगण का आपराधिक इतिहासः–</u>

<u>आपराधिक इतिहास अभि0 अबरार उपरोक्तः–</u>

<u>एच0एस0 नम्बर 40/ए थाना धामपुर</u>

1–मु0अ0सं0 1409/09 धारा 379/411 भादवि0 थाना धामपुर जिला बिजनौर

2–मु0अ0सं0 1420/09 धारा 307 भादवि0 थाना धामपुर जिला बिजनौर

3–मु0अ0सं0 1421/09 धारा 25 शस्त्र अधि0 थाना धामपुर जिला बिजनौर

4–मु0अ0सं0 1525/09 धारा 3(1) गैगस्टर एक्ट बनाम थाना धामपुर जिला बिजनौर

5–मु0अ0सं0 130/21 धारा 395/511/120बी/34 भादवि0 थाना नूरपुर बिजनौर

6–मु0अ0सं0 132/21 धारा 147/148/149/307/34 भादवि0 थाना नूरपुर जिला बिजनौर

7–मु0अ0सं0 133/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना नूरपुर बिजनौर

<u>आपराधिक इतिहास अभि0 नाजिम उर्फ अजीम उपरोक्तः–</u>

<u>एचएस नं0 21/बी थाना कोतवाली देहात जिला बिजनौर</u>

1–मु0अ0सं0 50/11 धारा 328/379 भादवि0 थाना मण्डावर जिला बिजनौर

2–मु0अ0सं0 44/04 धारा 380/323/506/308 आईपीसी थाना मण्डावर जिला बिजनौर

3–मु0अ0सं0 137/04 धारा 110 सीआरपीसी थाना मण्डावर जिला बिजनौर

4–मु0अ0सं0 14/21 धारा 454/380 भादवि0 थाना सूरत गुजरात
5–मु0अ0सं0 130/21 धारा 395/511/120बी/34 भादवि थाना नूरपुर बिजनौर
6–मु0अ0सं0 132/21 धारा 147/148/149/307/34 भादवि0 थाना नूरपुर जिला बिजनौर
7–मु0अ0सं0 135/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना नूरपुर बिजनौर

<u>आपराधिक इतिहास अभि0 रिजवान उपरोक्तः–</u>

1–मु0अ0सं0 70/19 धारा 454/380/34 भादवि0 थाना कोढवा जिला पुणे महाराष्ट्र।
2–मु0अ0सं0 153/19 धारा 454/380/34 भादवि0 थाना वाकड जिला पुणे महाराष्ट्र।
3–मु0अ0सं0 154/19 धारा 454/380/34 भादवि0 थाना वाकड जिला पुण महाराष्ट्र।
4–मु0अ0सं0 153/19 धारा 454/380/34 भादवि0 थाना निगडी जिला पुणे महाराष्ट्र।
5–मु0अ0सं0 14/21 धारा 454/380 भादवि0 थाना सूरत गुजरात
6–मु0अ0सं0 130/21 धारा 395/511/120बी/34 भादवि0 थाना नूरपुर बिजनौर
7–मु0अ0सं0 132/21 धारा 147/148/149/307/34 भादवि0 थाना नूरपुर जिला बिजनौर
8–मु0अ0सं0 134/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना नूरपुर बिजनौर

<u>आपराधिक इतिहास अभि0 सद्दाम उपरोक्तः–</u>

1–मु0अ0स0 344/19 धारा 386/120बी/506 भादवि0 थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
2–मु0अ0स0 688/18 धारा 379/411 भादवि0 थाना नजीबाबाद जनपद बिजनौर
3–मु0अ0स0 249/20 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना मण्डावर जनपद बिजनौर
4–मु0अ0स0 57/17 धारा 457/380 भादवि0 थाना तिरमल शहर तेलंगना हैदराबाद
5–मु0अ0स0 14/21 धारा 380/454 भादवि0 थाना रंदर सूरत गुजरात
6–मु0अ0सं0 130/21 धारा 395/511/120बी/34 भादवि थाना नूरपुर बिजनौर
7–मु0अ0सं0 132/21 धारा 147/148/149/307/34 भादवि0 थाना नूरपुर जिला बिजनौर
8–मु0अ0सं0 136/21 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना नूरपुर बिजनौर

<u>आपराधिक इतिहास अभि0 सागर उपरोक्तः–</u>

1–मु0अ0सं0 130/21 धारा 395/511/120बी/34 भादवि थाना नूरपुर बिजनौर
2–मु0अ0सं0 132/21 धारा 147/148/149/307/34 भादवि0 थाना नूरपुर जिला बिजनौर
3–मु0अ0सं0 137/21 धारा 4/25 शस्त्र अधि0 थाना नूरपुर बिजनौर

इसके अतिरिक्त अभि0 नाजिम रिजवान सददाम व फरार अभि0 फकरू के विरूद्व उ0प्र0 राज्य के विभिन्न थानो मे तथा अन्य राज्यो जैसे महाराष्ट्र गुजरात आन्ध्र प्रदेश मुम्बई कर्नाटक आदि मे इनके विरूद्व विभिन्न थानो मे अपराध पंजीकृत होने की सूचना मिली है, जिनकी जानकारी की जा रही है।

<u>गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः–</u>

<u>स्वाट टीमः–</u> प्रभारी श्री राजकुमार शर्मा, उ0नि0 मनोज परमार, उ0नि0 संजय कुमार, हे0का0 राजकुमार नागर, का0 खालिद, का0 अरुण कुमार, का0 रईस अहमद, का0 मोहित शर्मा, का0 दीपक तोमर, का0 रणजीत मलिक, का0 विकास बैसला, का0 सुनित , का0 मोनू।

<u>थाना नूरपुरः–</u> प्रभारी निरीक्षक श्री रविन्द्र कुमार वर्मा, उ0नि0 श्री राज कुमार वर्मा, हे0का0 287 अभिजीत सिंह, का0 1383 सुलभ यादव, का0 951 अनुज तोमर, का0 1418 सोनू कुमार

पुलिस टीम के सराहनीय कार्य हेतु पुरस्कार राशिः–.25000/–रूपये

<u>थाना अफजलगढः–</u> आज दिनांक 12.04.2021 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगण 1– राजू उर्फ रियाज पुत्र अहमद हुसैन 2– मौहम्मद वली पुत्र अहमद हुसैन निवासीगण मौहल्ला बेगम सराय कस्बा/थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

<u>थाना अफजलगढः–</u> आज दिनांक 12.04.2021 को थाना अफजलगढ पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तगण शातिर पुत्र मोहित 2– मोनिस पुत्र रईस अहमद निवासीगण मौहल्ला जैनुलाब्दीन कस्ब/थाना अफजलगढ जनपद बिजनौर को अन्तर्गत धारा 151 सीआपीसी मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

<u>थाना स्योहारा:–</u> आज दिनांक 12.04.2021 को थाना स्योहारा पुलिस द्वारा 05 अभियुक्तगण 1– अनवर उर्फ अन्नू पुत्र मुस्ताक अहमद 2– मौहम्मद वसीम पुत्र याकूब 3– मौहम्मद वसीम पुत्र अनवार अहमद 4– महमूद आलम पुत्र मंसूर 5– मौहम्मद जुबेर पुत्र एहसान समस्त निवासीगण मौहल्ल मनसूर सराय थाना स्योहारा जनपद बिजनौर को मु0अ0सं0 212/21 धारा 147,336,308,506 भादवि मे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

<u>थाना मण्डावली:–</u> दिनांक 11.04.2021 को थाना मण्डावली पुलिस द्वारा अभियुक्त आनंद कुमार पुत्र सुरेश निवासी ग्राम सिकरोडा थाना मण्डावली जनपद बिजनौर को 20 पव्वे देशी शराब फाईटर मार्का के साथ गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 63/21 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

दिनॉक 12.04.2021

आज दिनांक 12.04.2021 को प्रभारी एण्टी रोमियों टीम बिजनौर द्वारा बस स्टैण्ड/बाजर/भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाकर मंचलो पर शिकंजा कसा गया व उ**0**प्र**0** सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये चलाये जा रहे विशेष अभियान "मिशन शक्ति" के अन्तर्गत छात्राओं/महिलाओं को जागरूक किया तथा हैल्पलाईन नंबर **102**, **108**, **112**, **181**, **1076**, **1098**, **1090** व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया।

आज दिनांक 12.04.2021 को थाना कोतवाली शहर पर गठित एण्टी रोमियों टीम द्वारा बस स्टैण्ड/बाजर/भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाकर मंचलो पर शिकंजा कसा गया व उ**0**प्र**0** सरकार द्वारा महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वालम्बन के लिये चलाये जा रहे विशेष अभियान "मिशन शक्ति" के अन्तर्गत छात्राओं/महिलाओं को जागरूक किया तथा हैल्पलाईन नंबर **102**, **108**, **112**, **181**, **1076**, **1098**, **1090** व जनपद के सभी थानो पर खुले महिला हेल्प डेस्क के महत्व के सम्बन्ध में जागरूक किया।